

2-18 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा अतिव्यय करने के कारण एच.एच.आर. को पेश हो। को तलब देना पत्रावली दिनांक 27-4-18 को पेश हो।

27-18 पत्रावली दिनांक... 10-8-18 को पेश हो।

10-8-18 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।

30-11-18 एच.एच.आर. को तलब देना पत्रावली दिनांक 8-2-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8-2-19 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।

15-3-19 वकील वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वादीगण एच.एच.आर. के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादीगण उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वाद पत्र इसी स्तर पर फैसल फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मजबूत किया। ब्यायहित में वकील वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के प्रार्थना पत्र में आपसी राजीनामा हो जाने से अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण वादीगण का वाद पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है। प्रकरण संख्या 340/16 प्रार्थना पत्र 212 अरथाई निषेधाज्ञा पूर्व में जारी दिनांक 26-5-16 को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमात्र होकर दफ्तर हारिपल हो।

लाकर

निर्माता

निष्पादन

Ins +

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा